25/1/2021

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ,
सामान्य वर्ग

पत्रांक : 1063 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–65 / 2007 **दिनांक– 25/01/2021**

कार्यालय–ज्ञाप

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2016 में सम्पादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या–4 के प्रस्तर–7.5 में उल्लेख किया गया है कि निविदा आमंत्रण पत्र संख्या–2182 / 12एम0–आ0वृ0 / 2010 दिनाँक–21.05.2011 द्वारा वर्ष 2011–12 में जनपद आगरा के अन्तर्गत मेहरा नाहरगंज टूण्डला मार्ग पर सेतु एवं पहुँच मार्ग के कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमें मेसर्स आईडियल बिल्डटेक प्रा0लि0(निदेशक श्री अभिनन्दन जैन, श्री चकेश कुमार जैन), सी–2 / 37, विकास मार्केट, कमला नगर, आगरा एवं मेसर्स पी0एन0सी0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि0(वर्तमान नाम-- पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लिमिटेड)(निदेशक श्री प्रदीप कुमार जैन, श्री चकेश कुमार जैन, श्री योगेश कुमार जैन), डी–5 / 7, बसन्त विहार, नई दिल्ली ने प्रतिभाग किया था। वर्तमान में कम्पनी में श्री अभिनन्दन जैन, श्री अनिरूद्ध जैन निदेशक हैं। दोनों कम्पनी संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही हैं। इस प्रकार मेसर्स आईडियल बिल्डटेक प्रा0लि0 ने आपसी मिलीभगत से निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित कराया है, जिसके कारण निविदा प्रकिया में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं हुई और राजस्व की हानि हुयी है। इस प्रकार मेसर्स आईडियल बिल्डटेक प्रा0लि0, सी–2 / 37, विकास मार्केट, कमला नगर, आगरा द्वारा आपसी सांठ–गांठ कर अनियमित कार्य किया गया है।

मेसर्स आईडियल बिल्डटेक प्रा0लि0, सी–2 / 37, विकास मार्केट, कमला नगर, आगरा का लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में मार्ग कार्य करने हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्र संख्या–6364 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–65 / 2007 दिनाँक–11.09.2007 एवं अन्तिम पंजीकरण / नवीनीकरण पत्र संख्या–7432 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–65 / 2007 दिनाँक–08.07.2016 द्वारा दिनाँक–30.06.2019 तक के लिए किया गया है, जिसमें 02 निदेशक 1–श्री अभिनन्दन जैन 2–श्री अनिरूद्ध जैन हैं।

उक्त प्रकरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2016 में सम्पादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या–4 के प्रस्तर–7.5 के सन्दर्भ में मेसर्स आईडियल बिल्डटेक प्रा0लि0, सी–2 / 37, विकास मार्केट, कमला नगर, आगरा को इस कार्यालय के पत्रांक–12556एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–65 / 2007 दिनाँक–20.08.2019 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस, कम्पनी / निदेशक के पत्र दिनाँक–31.08.2019 द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर तथा मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा से प्राप्त आख्या दिनाँक–24.11.2020 के आलोक में परीक्षण किया गया तो स्पष्ट हुआ कि श्री चकेश कुमार जैन उक्त दोनों ही कम्पनी में निदेशक हैं। जिसके लिए कम्पनी / निदेशक मेसर्स आईडियल बिल्डटेक प्रा0लि0, सी–2 / 37, विकास मार्केट, कमला नगर, आगरा पूर्णतयः दोषी हैं।

अतः शासनादेश संख्या–2365 एम0एस0 / 23–पी0डब्लू0–41 एम0एस0 / 1954, दिनाँक–24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या–362 एम0टी0जी0 / 70एफ0–68 दिनाँक–08.10.1982 द्वारा ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम–15(1) के अन्तर्गत उपयुक्त पंजीकरण संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या–4127 एम0एस0 / 23 सा0नि0अनु0(7) दिनाँक–02.12.1974 के अन्तर्गत अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने के कारण मेसर्स आईडियल बिल्डटेक प्रा0लि0, सी–2 / 37, विकास मार्केट, कमला नगर, आगरा व उनके निदेशकों को लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यों से **06 माह** के लिए **डिबार(Debar)** किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि0 / नियो0), लो0नि0वि0, उ0प्र0 के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं। उक्त आदेश को काली सूची / डिबार के ठेकेदारों के रजिस्टर के कमांक– 39 पर अंकित किया गया।

RCSh [signature] 25-1-21

(आर0सी0 शुक्ला)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2),
लो0नि0वि0, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, लो0नि0अनु0–7, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, राष्ट्रीय मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, सेतु / वाहय सहायतित, इण्डो नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।

3— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
4— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
5— मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा को उनके पत्र दिनाँक—24.11.2020 के कम में।
6— निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
7— प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8— मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभिन्त्रण सेवा विभा, जवाहर भवन, लखनऊ।
9— अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लो0नि0वि0, आगरा।
10— अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
11— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—2, लो0नि0वि0, आगरा।
पंजीकृत—12— मेसर्स आईडियल बिल्डटेक प्रा0लि0, सी—2/37, विकास मार्केट, कमला नगर, आगरा।

RCCee 25-1-21

मुख्य अभियन्ता (मु0—2),
लो0नि0वि0, लखनऊ।